41–(08)–58–2018

पटना में दिनांक–23 अक्टूबर, 2018 मंगलवार को अपराह्न 4:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

कृषि विभाग

1.	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन योजना अंतर्गत चावल, गेहूँ, दलहन एवं कोर्स सिरियल तथा वाणिज्यिक फसल (गन्ना एवं जूट) का उत्पादन हेतु अनुदान की स्वीकृति एवं चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में कुल 9720.625 लाख (सत्तानबे करोड़ बीस लाख बासठ हजार पाँच सौ) रूपये की लागत से योजना कार्यान्वयन एवं इसके अंतर्गत केन्द्रांश मद में 5832.375 लाख (अन्ठावन करोड़ बत्तीस लाख सैतीस हजार पाँच सौ) रूपये एवं इसके समानुपातिक राज्यांश मद में 3888.25 लाख (अड़तीस करोड़ अठासी लाख पचीस हजार) रूपये तथा राज्यांश मद से अतिरिक्त सहायता के रूप में 318.515 लाख (तीन करोड़ अठारह लाख एकावन हजार पाँच सौ) रूपये कुल 10039.140 लाख (एक सौ करोड़ उनचालिस लाख चौदह हजार) रूपये की व्यय की स्वीकृति का प्रस्ताव।	1.	**स्वीकृत।**

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

2.	बिहार अग्निशमन सेवा अन्तर्गत पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर सर्वप्रथम पटना, पटना सिटी, कंकड़बाग, सचिवालय, दानापुर, फुलवारीशरीफ, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, मोतीपुर, गया, बोधगया एवं दरभंगा अग्निशामालय के लिए दो–दो अदद् मिस्ट टेक्नोलॉजी युक्त अग्निशमन मोटरसाइकिल के संचालन एवं अग्निशमन कार्य हेतु अग्निक (सिपाही की कोटि) के पदो का सृजन स्थायी रूप से करने के संबंध में।	2.	**स्वीकृत।**

गृह विभाग

(आरक्षी शाखा)

3.	भोजपुर जिलान्तर्गत आरा से छपरा पथ में आरा–छपरा बॉर्डर पर ओ०पी० का सृजन एवं उसके संचालन हेतु कुल–17 (सतरह) पदों के सृजन की स्वीकृति के संबंध में।	3.	**स्वीकृत।**

पंचायती राज विभाग

4.	पंचायती राज विभाग के नियंत्रणाधीन क्षेत्रीय कार्यालयों, यथा प्रमण्डलीय उप निदेशक (पंचायत राज) का कार्यालय/जिला पंचायत राज कार्यालय/जिला पंचायत राज प्रशिक्षण संस्थान/मुखिया सरपंच प्रशिक्षण संस्थान के कार्यालयों में लिपिक संवर्ग में भर्ती एवं सेवा शर्त्तों को विनियमित करने के उद्देश्य से गठित "पंचायती राज विभाग क्षेत्रीय कार्यालय लिपिकीय संवर्ग (भर्ती एवं सेवाशर्त्ते) नियमावली, 2018 की स्वीकृति के संबंध में।	4.	**स्वीकृत।**

पर्यटन विभाग

5. होटल पाटलिपुत्र अशोक, पटना का भारत पर्यटन विकास निगम लि०, नई दिल्ली से बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम लि० को 13.005 करोड़ (तेरह करोड़ पचास हजार) रूपये (Negotiated consideration) क्रय राशि के साथ सशर्त्त हस्तानांतरण के संबंध में। 5. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

6. एशियन डेवलपमेंट बैंक सम्पोषित BSHP-II AF के अन्तर्गत राज्य उच्च पथ संख्या–87 (रून्नीसैदपुर–भिसवा) पथ के कुल 67.755 कि०मी० में पुल–पुलिया निर्माण, सुरक्षात्मक, उपरी पुल एवं नाला निर्माण कार्य सहित 2–लेन मानक संरचना के अनुरूप उन्नयन कार्य कुल 551.00 करोड़ (पाँच सौ इक्यावन करोड़) रूपये के प्रथम पुनरीक्षित अनुमानित लागत पर करने की प्रथम पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। 6. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

7. एशियन डेवलपमेंट बैंक सम्पोषित BSHP-II Additional Financing के अन्तर्गत वरूणा ब्रीज–रसियारी, राज्य उच्च पथ संख्या–88 के कुल 120.901 कि०मी० में पुल–पुलिया निर्माण, सुरक्षात्मक एवं नाला निर्माण कार्य सहित 2–लेन मानक संरचना के अनुरूप उन्नयन कुल 1126.02 करोड़ (ग्यारह सौ छब्बीस करोड़ दो लाख) रूपये के प्रथम पुनरीक्षित अनुमानित लागत पर करने की प्रथम पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। 7. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

8. एशियन डेवलपमेंट बैंक सम्पोषित BSHP-II Additional Financing के अन्तर्गत बागी–बरबीघा, राज्य उच्च पथ संख्या–83 के कुल 37.646 कि०मी० में पुल–पुलिया निर्माण, सुरक्षात्मक एवं नाला निर्माण कार्य सहित 2–लेन मानक संरचना के अनुरूप उन्नयन कार्य कुल 235.28 करोड़ (दो सौ पैंतीस करोड़ अठाईस लाख) रूपये के प्रथम पुनरीक्षित अनुमानित लागत पर करने की प्रथम पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। 8. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

9. बिहार सचिवालय लिपिकीय सेवा के अधीन पथ निर्माण विभाग, बिहार के अंतर्गत वर्ग–ग में उच्चवर्गीय लिपिक के 24 (चौबीस) एवं निम्नवर्गीय लिपिक 50 (पचास) पदों का सृजन अनुमानित व्यय ₹2,56,20,240/–(दो करोड़ छप्पन लाख बीस हजार दो सौ चालीस रूपये) मात्र पर स्वीकृति के संबंध में। 9. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

10. एशियन डेवलपमेंट बैंक सम्पोषित BSHP-II के अन्तर्गत राज्य उच्च पथ संख्या–89 (सिवान–सिसवन) पथ के कुल 33.065 कि०मी० में पुल–पुलिया निर्माण, सुरक्षात्मक एवं नाला निर्माण कार्य सहित 2–लेन मानक संरचना के अनुरूप उन्नयन कार्य कुल 203.59 करोड़ (दो सौ तीन करोड़ उनसठ लाख) रूपये के प्रथम पुनरीक्षित अनुमानित लागत पर करने की प्रथम पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 10. **स्वीकृत।**

पथ निर्माण विभाग

11. एशियन डेवलपमेंट बैंक सम्पोषित BSHP-II AF के अन्तर्गत राज्य उच्च पथ संख्या–86 (सरैया–मोतिपुर) पथ के कुल 28.204 कि०मी० में पुल–पुलिया निर्माण, सुरक्षात्मक, उपरी पुल एवं नाला निर्माण कार्य सहित 2–लेन मानक संरचना के अनुरूप उन्नयन कार्य कुल 259.01 करोड़ (दो सौ उनसठ करोड़ एक लाख) रूपये के प्रथम पुनरीक्षित अनुमानित लागत पर करने की प्रथम पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में। — 11. **स्वीकृत।**

वित्त विभाग

12. पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन/पेंशन प्राप्त कर रहे राज्य सरकार के सरकारी सेवकों/पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों को दिनांक–01/07/2018 के प्रभाव से 7 प्रतिशत के स्थान पर 9 प्रतिशत महंगाई भत्ता/राहत की स्वीकृति के संबंध में। — 12. **स्वीकृत।**

भवन निर्माण विभाग

13. सी०डब्लू०जे०सी० संख्या–7726/2017 एवं सी०डब्लू०जे०सी० संख्या–1832/2018 में माननीय पटना उच्च न्यायालय द्वारा क्रमशः दिनांक–21.03.2018 एवं दिनांक–26.02.2018 को पारित आदेश के अनुपालन में विभागीय अधिसूचना सं०–8943 (भ) दिनांक–12.09.2016 को संशोधित करने एवं तदर्थ रूप से नियुक्त एवं समायोजन के आधार पर नियमित रूप से नियुक्त सहायक अभियंताओं को वेतन संरक्षण का लाभ प्रदान करने के संबंध में। — 13. **स्वीकृत।**

सूचना प्रावैधिकी विभाग

14. बिहार स्टेट डाटा सेंटर के लिए डिजास्टर रिकवरी सेवायें प्राप्त करने हेतु कुल प्राक्कलित राशि ₹30,49,21,339.00 (तीस करोड़ उनचास लाख इक्कीस हजार तीन सौ उनचालीस) मात्र, जो बेल्ट्रॉन द्वारा स्वीकृत किया गया है, की प्रशासनिक स्वीकृति के संबंध में। — 14. **स्वीकृत।**

स्वास्थ्य विभाग

15. भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् के न्यूनतम मापदण्डों को दृष्टिपथ रखते हुए राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज एवं अस्पताल, पटना में 100 छात्रों के नामांकन हेतु कार्यालय एवं 14 विभागों में शैक्षणिक कर्मियों, गैर शैक्षणिक कर्मियों के कुल 45 पदों का सृजन के संबंध में। — 15. स्वीकृत।

सामान्य प्रशासन विभाग

16. विभिन्न विभागों/कार्यालयों में पदाधिकारियों की आवश्यकता एवं अनुमान्यता के आधार पर सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा के विभिन्न पदों के सृजन के संबंध में। — 16. स्वीकृत।

पथ निर्माण विभाग

18. एल०पी०ए० संख्या–1761/2010 (राजीव कुमार एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) में पारित आदेश के अनुपालनार्थ पथ निर्माण विभाग के अन्तर्गत श्री विजय कुमार, कनीय अभियंता (यॉँत्रिक) एवं श्री अनिल कुमार, कनीय अभियंता (यॉँत्रिक) को दिनांक 06.04.2005 के भूतलक्षी प्रभाव से सहायक अभियंता (यॉँत्रिक) के पद पर प्रोन्नति देने हेतु उक्त तिथि को रिक्ति उपलब्ध नहीं रहने के कारण सहायक अभियंता (यॉँत्रिक) का दिनांक 06.04.2005 से दिनांक 24.02.2013 तक की अवधि के लिए 02 (दो) छायापद सृजन के संबंध में। — 18. स्वीकृत।

पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग

(मत्स्य)

19. चालू वित्तीय वर्ष 2018–19 में केन्द्रीय योजनागत योजना "नीली क्रांति–समेकित विकास एवं मत्स्य पालन के प्रबंधन" अन्तर्गत अनुदानात्मक योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ₹271.16 लाख (दो करोड़ एकहत्तर लाख सोलह हजार) बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम के लिए मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव। — 19. स्वीकृत।

संसदीय कार्य विभाग

20. षोडश बिहार विधान सभा के एकादश–सत्र तथा बिहार विधान परिषद् के 190वें सत्र (शीतकालीन सत्र) के औपबंधिक कार्यक्रम की स्वीकृति के संबंध में। — 20. स्वीकृत।

सूचना प्रावैधिकी विभाग

21. मेगा औद्योगिक पार्क, बिहटा में आई॰टी॰ पार्क की स्थापना के लिए 33 (तैंतीस) एकड़ भूमि के अधिग्रहण हेतु कुल प्राक्कलित राशि ₹38,38,89,000.00 (अड़तीस करोड़ अड़तीस लाख नवासी हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में। — 21. स्वीकृत।

सूचना प्रावैधिकी विभाग

22. बिहार राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड के संगठनात्मक संरचना में पूर्व से स्वीकृत पदों के अतिरिक्त 22 नये पदों के सृजन एवं पदनाम में बदलाव के संबंध में। — 22. स्वीकृत।

गृह विभाग

23. आपराधिक वादों के त्वरित न्यायिक निष्पादन हेतु अपराधियों से संबंधित वादों का विचारण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली के माध्यम से किये जाने हेतु कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय (मुख्यालय), राज्य की 58 काराओं एवं पटना उच्च न्यायालय तथा राज्य के 62 न्यायालयों यानि कुल 122 स्थलों पर मल्टी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली (Multi Connection & Interlink) के अधिष्ठापन हेतु अनुमानित लागत की राशि ₹126,87,84,400 (एक सौ छब्बीस करोड़ सतासी लाख चौरासी हजार चार सौ रूपये) मात्र की स्वीकृति के संबंध में। — 23. स्वीकृत।

वित्त विभाग

24. केन्द्र सरकार के अनुरूप अविवाहित/परित्यक्ता/विधवा आश्रित पुत्रियों को 25 वर्ष की आयु सीमा के पश्चात पारिवारिक पेंशन की अनुमान्यता के संबंध में। — 24. स्वीकृत।

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

25. पूर्णियाँ जिलान्तर्गत अंचल पूर्णियाँ पूर्व अन्तर्गत मौजा–मधुबनी, थाना नं०–123/1 वार्ड नं०–13, के खाता सं०–1179, खेसरा सं०–125, 136 एवं 2197 अन्तर्गत कुल 37 ए० 24 डी० किस्म हवाई अड्डा लोक निर्माण विभाग, बिहार सरकार की भूमि पूर्णियाँ विश्वविद्यालय, पूर्णियाँ के स्थापना हेतु शिक्षा विभाग, बिहार को निःशुल्क हस्तान्तरण के संबंध में। — 25. स्वीकृत।

आपदा प्रबंधन विभाग

26. वर्ष 2018 में अनियमित एवं अल्प वर्षापात के कारण उत्पन्न गंभीर स्थिति को ध्यान में रखते हुए कुल 23 प्रभावित जिलों के कुल 206 प्रखण्डों को सूखाग्रस्त घोषित किए जाने के आलोक में घटनोत्तर स्वीकृति के संबंध में। — 26. स्वीकृत।